Shri Mata Mansa Devi Shrine Board
PANCHKULA, DISTRICT PANCHKULA
श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड, हरियाणा
पंचकूला, जिला पंचकूला 0172-2920988

श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड, पंचकुला।

पीतल की घंटियों की नीलामी के लिए नियम और शर्तें

श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड पीतल की घंटियॉ की नीलामी दिनांक 08.09.2025 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड, पंचकूला में निम्नलिखित नियम एवं शर्तों पर आयोजित की जानी हैः–

1. रिजर्व प्राईज़ = 450/– रू0 प्रति किलो (जी.एस.टी. सहित)
2. बोली में भाग लेने के लिए धरोहर राशि 50000/– रुपये नकद/बैंक ड्राफ्ट के रूप में श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड, पंचकुला के लेखाशाखा ब्रांच में दिनांक 08.09.2025 को प्रातः 11.00 बजे तक जमा करवानी होगी।
3. नीलामी किसी भी सामग्री के लिए अलग से नही की जाएगी अर्थात पीतल के साथ–साथ गैर पीतल मुख्य रूप से लोहा जो वजन में चेन या पेंडुलम के रूप में घंटी के साथ जुड़ा हुआ है या समिति द्वारा मौके पर कोई भी निर्णय लिया जा सकता है।
4. नीलामी सभी सामग्रियों के वजन और संख्या की मात्रा के आधार पर आयोजित की जाएगी। पीतल सामग्री और इस प्रकार के किसी भी अन्य सामान के उच्चतम बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह गैर पीतल सामग्री और इस प्रकार की किसी भी अन्य वस्तु को अपने खर्च पर अलग करे।
5. कार्य में श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड की संपत्ति को नुकसान/प्रभावित किए बिना प्रदर्शित सामग्री को सुरक्षित रूप से हटाना और ले जाना शामिल है। पूजास्थल बोर्ड की संपत्ति के किसी भी नुकसान, दुर्घटना या दुर्घटना के मामले में, ठेकेदार नुकसान की भरपाई के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
6. सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बाद नीलामी को अंतिम रूप दिया जाएगा।
7. सफल बोलीदाता को कार्यालय पत्र जारी होने के 24 घंटे में श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड के खाते में बोली राशि + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. जमा करनी होगी। इसके बाद सफल बोलीदाता को ही साइट से सामग्री उठाने/ले जाने की अनुमति होगी।
8. उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा पूरी बोली राशि जमा न करने की स्थिति में, दूसरे उच्चतम बोली लगाने वाले और तीसरे उच्चतम बोली लगाने वाले पर सक्षम अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे नियम और शर्तों को पूरा करते हों।
9. राशि जमा न करने की स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। सामग्री को ले जाने की अवधि 100 प्रतिशत भुगतान जमा करने या इस संबंध में कार्यालय पत्र जारी करने की तिथि से 3 दिन होगी।

10. धरोहर राशि सभी प्रकार से साइट की निकासी, विस्तृत समय के भीतर और सक्षम अधिकारी की पूर्ण संतुष्टि के बाद जारी की जाएगी। यदि ठेकेदार साइट/परिसर को खाली करने में विफल रहता है तो धरोहर राशि और जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
11. नीलामी में भाग लेने से पूर्व सामग्री का साईट/स्थल का निरीक्षण किया जा सकता है। बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
12. नीलामी समिति बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
13. केवल पूरी बोली राशि जमा करने से सफल बोलीदाता के रूप में पुष्टि नहीं होती है, बोली केवल मुख्य प्रशासक, श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड के लिखित अनुमोदन और लिखित रूप में आवंटन/पत्र के बाद स्वीकृत मानी जाएगी।

नोटः नियम एवं शर्तें संभावित हैं, सक्षम अधिकारी द्वारा इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।